

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुभाष सैनी पुत्र भगवानसहाय निवासी ढाणी सिरसा वाली तन गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 285/2025

जीसीएमएस नं0 2025/547

आदेश

दिनांक - 30/6/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 151, 405, 567 तथा तन ग्राम बल्लभदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 101, 208 में वादी, वादी के भाई, बहन व माता का गलत दर्ज नाम "राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष चन्द पु0 भगवानाराम, लाली देवी पत्नी भगवानाराम, सन्तोषदेवी पुत्री भगवानाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष चन्द पु0 भगवानासहाय, लाली देवी पत्नी भगवानासहाय, सन्तोषदेवी पुत्री भगवानासहाय" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)  
राजवीर सिंह चौधरी  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
नीमकाथाना (सीकर)

## डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. सुभाष सैनी पुत्र भगवानसहाय निवासी ढाणी सिरसा वाली तन गांवडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी


### दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 285 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गांवडी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 151, 405, 567 तथा तन ग्राम बल्लमदासपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 101, 208 में वादी, वादी के भाई, बहन व माता का गलत दर्ज नाम "राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष चन्द पु0 भगवानाराम, लाली देवी पत्नी भगवानाराम, सन्तोषदेवी पुत्री भगवानाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "राजेन्द्र प्रसाद, सुभाष चन्द पु0 भगवानासहाय, लाली देवी पत्नी भगवानासहाय, सन्तोषदेवी पुत्री भगवानासहाय" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। वसदत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।



  
 राजेन्द्र प्रसाद यादव  
 ओहदा.....  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमकाथाना (सीकर)

	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	नीमकाथाना (सीकर)
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प यकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।